फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध जीसीएमएस नंबर 2025/385 बअनवान घीसाराम वगैरा बनाम कालूराम वगैरा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
07/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण श्री जितेश भंडारी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार परमार उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण ने जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस हेतु निवेदन किया। उपस्थित वकुलाय की अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकुलाय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध भूमि की जमाबंदी संवत् 2076–2079 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार वादग्रस्त भूमि ग्राम सेवाडी के खसरा नंबर 2340 रकबा 0.8500 हैक्टर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के संयुक्त सह खातेदारी की कृषि भूमि है, जिसके विभाजन का वाद पेश किया हुआ है। अतः प्रकरण में वर्णित भूमि को लेकर दोनो पक्षो में कोई विवाद न हो, इस हेतु उभय पक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम सेवाडी के खसरा नंबर 2340 रकबा 0.8500 हैक्टर में अपने हिस्सानुसार मूल वाद के निर्णय तक मौके की यथा स्थिति बनाये रखेगे। दोनों पक्ष एक–दूसरे के कब्जा काश्त में दखलंदाजी नहीं करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला - पाली (राज.) ★	

Scanned by CamScanner